न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78 / 2019

1 सुरेन्द्र सिंह पुत्र भागीरथ सिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत निवासी घोड़ीवारा कलां, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।
2 किरण कंवर पत्नी भागीरथ सिंह, उम्र 60 वर्ष जाति राजपूत, निवासी घोड़ीवारा कलां, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

अपीलांट

बनाम

1 भंवर कंवर पत्नी भंवर सिंह
2 प्रदीप सिंह पुत्र भंवर सिंह
3 सरिता कंवर पुत्री भंवर सिंह
4 प्रभू सिंह पुत्र श्री किशन सिंह
5 सवाई सिंह पुत्र मानसिंह
6 कर्ण सिंह पुत्र मानसिंह
7 सुरजबक्स पुत्र मानसिंह
8 ईचरज कंवर पुत्री मानसिंह
9 मालू सिंह पुत्र मोहन सिंह
10 उम्मेद कंवर पुत्री मोहन सिंह
11 सतपाल सिंह पुत्र अमराव सिंह
12 मंजू कंवर पुत्री अमराव सिंह
13 मदन सिंह पुत्र धोकल सिंह
14 गोपाल सिंह दत्तक पुत्र भोपाल सिंह
15 मगन कंवर पत्नी जतन सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

16 महावीर सिंह पुत्र दान सिंह
17 नरपत सिंह पुत्र महावीर सिंह
18 नरेश सिंह पुत्र महावीर सिंह
उम्र व्यस्क, समस्त जाति राजपूत निवासीगण घोड़ीवारा कलां, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू (राज.)।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2019 राजस्व वाद
संख्या 56/2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
नवलगढ़ पीठासीन अधिकारी मुरारीलाल शर्मा
आरएएस अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11
सीपीसी व धारा 211 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
1955 मुकदमा उनवानी सुरेन्द्र बनाम भंवर कंवर वगै.

उपस्थिति :

1. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 56/2018 में पारित निर्णय दिनांक 19—08—2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम घोड़ीवारा कलां, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 1.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 14 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 22 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नम्बर 23 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.33 हैक्टर, खसरा नम्बर 125 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 2. 72 हैक्टर, खसरा नम्बर 444 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 562/390 रकबा 0.04 हैक्टर कुल किता 12 कुल रकबा 10.83 हैक्टर जिसके सम्बन्ध में वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 की शामलाती भूमि है जिसके खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 15 है जिनको पक्षकार बनाया गया है। विवादित भूमि से प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लगायत 18 का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लगायत 18 विवादित भूमि के खसरा नम्बर 243 में जबरन पत्थर व ईंटे डालकर मकानों का निर्माण करने लग गये तब प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लगायत 18 को निर्माण कार्य से रोकने के लिये वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र वादी नं. 1 व 2 की तरफ से प्रस्तुत किया गया है व सहखातेदारों को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 बनाया गया है। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 16 लगायत 18 की तरफ से जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। जबाब दावा में प्रतिवादीगण 16 लगायत 18 ने कथन किया कि विवादित जमीन नोटेरी द्वारा खरीदी हुई है। दिनांक 28.09.2018 को प्रतिवादीगण भंवर कंवर वगैरह की तरफ से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की दरख्वास्त पेश की गई जिसका जबाब पेश किया गया। दिनांक 19.08.2019 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दावा खारिज किया गया व खारिज के आधार पर डिक्री बनाई गई है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में मुकदमें में जवाब दावा प्रस्तुत हो चुका है और जवाब दावा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में उज्र लिया गया है कि विवादित भूमि नोटेरी से खरीदी हुई है जो आपति आदेश 7 नियम 11 में ली गई है वह जबाब दावा में नहीं ली गई है। विचारण न्यायालय ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों को समझने में कानूनी गलती की है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कॉज ऑफ एक्शन नहीं होने के कारण दावा खारिज किया जाता है जो तथ्य साक्ष्य के आधार पर निर्णित किये जाते है उनको आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत निर्णित नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि के रिकॉर्डेड सहखातेदारों को पक्षकार बनाया गया है इसलिये रिकॉर्डेड खातेदारों को पक्षकार व सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाने की बात गलत है। विधि का यह सिद्धान्त है कि सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। पक्षकार वादी व प्रतिवादी के रूप में हो सकते है, केवल वादी ही बनाया जाना आवश्यक नहीं है जो पक्षकार वाद पत्र प्रस्तुत करने के समय मौजुद नहीं है उनको प्रतिवादी बनाया जा सकता है और सीपीसी के अनुसार किसी भी प्रतिवादी को वादी के रूप में संयाजित किया जा सकता है। किसी भी सहखातेदार के अधिकारों का कानूनन हनन नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण 16 लगायत 18 अतिक्रमी है वे जबरन कृषि भूमि में निर्माण कार्य करने में अमादा है उनका विवादित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं है वे सहखातेदार नहीं है। कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने का उनका हक व अधिकार नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2008(1) पेज 776, एआईआर 2012 एससी पेज 2023, आरएलडब्ल्यू 2018(1) राज. पेज 826, आरआरडी 1992 पेज 227, आरआरडी 1976 पेज 560, आरआरडी 1977 पेज 400 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादीगण ने उक्त दावा आराजी मुतनाजा के अपने आप को सहखातेदार कथति कर स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत पेश किया है। सहखातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दफा 188 में मिलने का प्रावधान है। प्रतिवादी संख्या

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

1 से 15 जमीन जैर बहस के वादीगण के साथ राजस्व रिकार्ड में बतौर सहखातेदार दर्ज है। कानून से धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एक या एक से अधिक सहखातेदारान को प्रस्तुत करने का हक नहीं होता है और स्थाई निषेधाज्ञा का दावा तमाम सहखातेदार मिलकर ही कर सकते हैं। यदि एक भी सहखातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के लिये इंकार कर देता है तो उस सुरत में अन्य सहखातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नही कर सकते। उपरोक्त दावा केवल मात्र दो सहखातेदारान की तरफ से पेश हुआ और समस्त सहखातेदारान दावे में बतौर वादीगण पक्षकार नहीं है। इस कारण दावा मेन्टेबल नहीं है और विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने उक्त दावा आराजी मुतनाजा के अपने आप को सहखातेदार कथति कर स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत पेश किया है। सहखातेदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दफा 188 में मिलने का प्रावधान है। प्रतिवादी संख्या 1 से 15 जमीन जैर बहस के वादीगण के साथ राजस्व रिकार्ड में बतौर सहखातेदार दर्ज है। कानून से धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एक या एक से अधिक सहखातेदारान को प्रस्तुत करने का हक नहीं होता है और स्थाई निषेधाज्ञा का दावा तमाम सहखातेदार मिलकर ही कर सकते हैं। यदि एक भी सहखातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के लिये इंकार कर देता है तो उस सुरत में अन्य सहखातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नही कर सकते। उपरोक्त दावा केवल मात्र दो सहखातेदारान की तरफ से पेश हुआ और समस्त सहखातेदारान दावे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में बतौर वादीगण पक्षकार नहीं है। इस कारण दावा मेन्टेबल नहीं है और विधि द्वारा वर्जित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आदेश 07 नियम 11 का आवेदन स्वीकार कर वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर